मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-16

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

बुधवार, दिनांक 8 मार्च, 2006 (फाल्गुन 17, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.35 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा कल बनारस में मंदिर और विभिन्न स्थानों पर हुए विस्फोटों में जिन लोगों ने अपनी जानों की आहूति दी है उन सभी के प्रति यह सदन समवेत रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करता है तथा आतंकवादी कृत्यों की निन्दा करता है। यह सदन इस देश में सामाजिक सौहार्द और एकता बनाए रखने के लिए पूरे देशवासियों से अपील करता है।

वाणिज्यिक कर मंत्री, श्री बाबूलाल गौर, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, सदस्य श्री रामलखन शर्मा, श्री आरिफ अकील, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।

सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिये संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में विधानसभा की कार्यवाही पूर्वान्ह 10.42 बजे 5 मिनिट के लिये स्थगित होकर 10.46 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 9 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों एवं डॉ. सुनीलम्, सदस्य सहित समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 2303) के मामले पर शासन के द्वारा कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान न करने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 94 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 78 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के मेहगांव कस्बे में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालो को गेहूं व मिट्‌टी का तेल नहीं दिये जाने,

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के विधानसभा क्षेत्र मऊगंज के गोकुल ग्रामों की समस्याएं होने,

(3) श्री नारायण सिंह त्रिपाठी, सदस्य ने मैहर विधान सभा क्षेत्र जिला सतना अंतर्गत धर्मपुरा बाणसागर डूब क्षेत्र होने व पेयजल संकट होने,

(4) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य ने श्योपुर शहर की सीप नदी का गहरीकरण किये जाने,

(5) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य ने सतना जिले में कार्यरत कर्मचारियों को कई माह से वेतन न दिये जाने,

(6) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य ने छिंदवाड़ा एवं बैतूल जिले में 8 हजार हैक्टेयर भूमि वन क्षेत्र में सागौन के वृक्षों में दीमक लग जाने,

(7) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य ने मन्दसौर में सरसों खरीदी मूल्य केन्द्र पर पूरा माल नहीं खरीदा जाने,

(8) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य ने सीहोर जिले के खामखेड़ा - सेवदा मार्ग की जर्जर हालत होने, तथा

(9) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर जिले की तहसील विजयपुर में संचालित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड अधिनियम, 2000 (क्रमांक 6 सन् 2000) की धारा 3 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003,

पटल पर रखे।

(2) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, ग्रामोद्योग मंत्री ने मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003,

पटल पर रखे।

5. ध्यानाकर्षण

(1) श्रीमती जमुनादेवी, सर्वश्री गोविन्द सिंह राजपूत, आरिफ अकील, सदस्य ने विदिशा के कोतवाली पुलिस की अभिरक्षा में एक युवक की मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(श्रीमती जमुना देवी,नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों एवं सदस्य श्री रामलखन शर्मा द्वारा विदिशा के कोतवाली पुलिस की अभिरक्षा में एक युवक की मौत होने संबंधी ध्यानाकर्षण के मामले पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2) श्री के.पी. सिंह"कक्काजू", सदस्य ने शिवपुरी जिले के पिछोर से रलौद जा रही बस के परिचालक के साथ मारपीट कर लूटपाट किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आर्कषित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. वक्तव्य

प्रदेश के किसानों को थ्रेशर चलाने के लिए अलग से विद्युत कनेक्शन न लेने के संबंध में मुख्यमंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान ने वक्तव्य दिया।

श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

7. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

सुश्री निर्मला भूरिया, सभापति ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री मारोतराव खवसे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम उमरामत्रा-सिवनी मार्ग का निर्माण कराये जाने, तथा

(ख) पांढुर्ना से निलकंठा-धावड़ीखापा-खड़की मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(2) श्री ताराचन्द बावरिया, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) परासिया नगर में बस स्टैण्ड बनाये जाने,

(ख) ग्राम खिरसाडोह से बडकुई रेलवे स्टेशन तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) परासिया लिंक कोर्ट को नियमित न्यायालय में परिवर्तित कराये जाने, तथा

(घ) पेंचव्हेली समूह जल प्रदाय योजना को शीघ्र पूर्ण कराये जाने,

(3) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के -

(क) ग्राम राडेव में हाईस्कूल खोले जाने,

(ख) प्रेमसर-बिलवाड़ा मार्ग तथा जुवाड़ पहुंच मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) बड़ोदा नगर में सिविल न्यायालय की स्थापना कराये जाने, तथा

(घ) राडेव-तलवाड़ा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने, एवं

(4) श्री शिवप्रसाद राठौर, सदस्य की बैतूल जिले के ग्राम झल्लार में पेयजल टंकी का निर्माण कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

9. वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री शंकरलाल तिवारी
(2) श्री रामलखन शर्मा
(3) डॉ. सुनीलम्
(4) श्री आरिफ अकील
(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(6) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(7) श्री लाल सिंह आर्य

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(8) श्रीमती सरोज बच्चन नायक
(9) श्री रामनिवास रावत
(10) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(11) श्री शांतिलाल धवई
(12) श्री ध्रुव प्रताप सिंह

सभापति महोदय (श्री लाल सिंह आर्य) पीठासीन हुए.

(13) डॉ. नारायण परमार
(14) श्री गिरिजा शंकर शर्मा
(15) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(16) श्रीमती अलका जैन
(17) श्री गिरिराज मण्डलोई

(18) श्री अर्जुन पलिया
(19) डॉ. गोविन्द सिंह
(20) श्री बहादुर सिंह चौहान
(21) श्री रामदयाल अहिरवार

श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 6	वित्त के लिए पच्चीस सौ उन्नीस करोड़, चार लाख, तेरह हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 31	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी के लिए उन्नीस करोड़, छियानवे लाख, अड़सठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 38	रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय के लिए दो लाख, छत्तीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन के लिए दो करोड़, अठहत्तर लाख, अठारह हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए एक सौ छब्बीस करोड़, उन्तीस लाख रूपये,तथा
अनुदान संख्या - 74	वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं के लिए दो करोड़ रुपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 6	2,4,7,9
मांग संख्या - 31	4
मांग संख्या - 38	4,6
मांग संख्या - 50	1,3
मांग संख्या - 60	3
मांग संख्या - 74	1,4

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ मत लिया गया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री हिम्मत कोठारी, वन एवं परिवहन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 10	वन के लिए पांच सौ सड़सठ करोड़,तैतीस लाख, तिरासी हजार रूपये,तथा
अनुदान संख्या - 36	परिवहन के लिए बत्तीस करोड़, पन्द्रह लाख, तिरपन हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 10	5,6,7,8,11
मांग संख्या - 36	1,3

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) ठा. सोबरन सिंह बाबूजी

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री हरिन्द्रजीत सिंह "बब्बू"
(3) डॉ. सुनीलम्
(4) श्री गिरिराज मण्डलोई
(5) श्री आरिफ अकील
(6) श्री घनश्याम सिंह
(7) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा
(8) श्री धूल सिंह
(9) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(10) श्री बहादुर सिंह चौहान
(11) श्री गुरुचरण सिंह
(12) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(13) श्री मेहरवान सिंह रावत
(14) श्री बृजमोहन धूत

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

श्री हिम्मत कोठारी, वन एवं परिवहन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्री रामपाल सिंह, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए तीन सौ पच्चीस करोड़, नव्वे लाख, छियासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या - 34	समाज कल्याण के लिए तीस करोड़, बारह लाख, छियानवे हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	**कटौती प्रस्ताव क्रमांक**
मांग संख्या - 20	2,3,6,7,10,13,16
मांग संख्या - 34	1,2,4,7,8

मांगों और कटौती प्रस्ताव पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार

(2) श्री दुर्गालाल विजय

(चर्चा अपूर्ण)

07.01 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 9 मार्च, 2006 (फाल्गुन 18, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.